<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

दिनाँक 05.05.2025

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

थाना पलिया पुलिस द्वारा, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया गया; गिरफ्तार महिला के कब्जे से 450 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (ब्राउन शुगर, कीमत लगभग 20 लाख रुपये), 90,633 रुपया भारतीय मुद्रा, 1,32,900 रुपया नेपाली मुद्रा, 04 मोबाइल फोन व पीली एवं सफेद धातु के कीमती आभूषण बरामद

लखीमपुर खीरी, 5 मई- पुलिस अधीक्षक खीरी, संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी के भारत नेपाल बॉर्डर पर अबैध मादक पदार्थो की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाऐ जाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी पलिया के निकट पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी पलिया के

नेतृव में आज दिनांक 05.05.2025 को थाना पलिया पुलिस द्वारा, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 450 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (ब्राउन शुगर), 90,633 रुपया भारतीय मुद्रा, 1,32,900 रुपया नेपाली मुद्रा, 04 मोबाइल फोन तथा पीली व सफेद धातु के कीमती आभूषण बरामद किये गये है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 20 लाख रुपये है। प्रकरण मे थाना पलिया पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार महिला पूर्व मे भी मादक पदार्थो की तस्करी मे जेल जा चुकी है। बिगत दिनों मे बॉर्डर एरिया से भारी मात्रा मे मादक पदार्थो की लगातार बरामदगी व गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही कर अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-</u>

कैलाश कौर पत्नी गुरमीत सिंह नि0 मोहल्ला रंगरेजान प्रथम कस्बा व थाना पलिया जनपद खीरी, स्थायी पता-मजरा पूरब थाना पढुआ जनपद खीरी

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1-मु0अ0सं0 54/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना पलिया
2-मु0अ0सं0 165/25 धारा 8/21/23 एनडीपीएस एक्ट, थाना पलिया

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

450 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (ब्राउन शुगर) कीमत लगभग 20 लाख रुपये
पीली व सफेद धातु के आभूषण (कीमत लगभग 03-04 लाख रुपये)
90,633 रुपये भारतीय मुद्रा
1,32,900 रुपये नेपाली मुद्रा
04 मोबाइल फोन (02 एन्ड्रायड व 02 की पैड फोन)

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1-उ0नि0 प्रेमनरायण थाना पलिया
2-म0उ0नि0 निशा शुक्ला थाना पलिया
3-हे0का0 जितेन्द्र कुमार थाना पलिया
4-म0का0 कोमल शर्मा थाना पलिया
5-का0 परीक्षित सैनी थाना पलिया
6-का0 कृष्ण मुरारी थाना पलिया
7-का0 अनुज कुमार थाना पलिया
8-का0 विजय प्रकाश तिवारी थाना पलिया
9-का0 सुनील रावत थाना पलिया
10-का0 रावेन्द्र सिंह थाना पलिया

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 110 लीटर यूरिया अपमिश्रित कच्ची नाजायज शराब, एक किलो 200 ग्राम यूरिया खाद व शराब बनाने के उपकरण के साथ 02 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 05.05.2025 को क्षेत्राधिकारी महोदय गोला के कुशल मार्गदर्शन में व थानाध्यक्ष मैलानी के नेतृत्व में थाना मैलानी पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1.अरुण पुत्र नरायन सिंह निवासी ग्राम प्रतापपुर ग्रन्ट नं-10 थाना मैलानी जिला खीरी 2.धर्मेन्द्र कुमा र पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम गंगापुर ग्रन्ट नं0 10 थाना मैलानी जिला खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तो के कब्जे से 110 ली0 यूरिया अपमिश्रित कच्ची नाजायज शराब व यूरिया खाद एक किलो दो सौ ग्राम व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया। सभी अवैध चीजो का नमूना मोहर लेकर मौके पर 600 ली0 लहन को नष्ट किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 181/2025 धारा 60(2)आबकारी अधि0 व 274 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अरुण पुत्र नरायन सिंह निवासी ग्राम प्रतापपुर ग्रन्ट नं-10 थाना मैलानी जिला खीरी

2.धर्मेन्द्र कुमार पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम गंगापुर ग्रन्ट नं0 10 थाना मैलानी जिला खीरी

अभियुक्त अरुण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 97/17 धारा 60 (2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
2.मु0अ0स0 99/17 धारा 323, 324, 504 भादवि थाना मैलानी जनपद खीरी।
3.मु0अ0स0 199/17 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
4.मु0अ0स0 400/20 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
5.मु0अ0स0 332/23 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
6.मु0अ0स0 20/24 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।

अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 19/18 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
2.मु0अ0स0 193/21 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
3.मु0अ0स0 477/21 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
4.मु0अ0स0 523/21 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
5.मु0अ0स0 539/22 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
6.मु0अ0स0 21/24 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
7.मु0अ0स0 243/24 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
8.मु0अ0स0 109/25 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।

बरामदगी-

अभियुक्तो के कब्जे से 110 ली0 यूरिया अपमिश्रित कच्ची नाजायज शराब व यूरिया खाद एक किलो दो सौ ग्राम व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 मोहित पुण्डीर चौकी प्रभारी संसारपुर थाना मैलानी जनपद खीरी
2.हे0का0 देवेन्द्र प्रताप थाना मैलानी जनपद खीरी
3.हे0का0 श्याम कुमार वर्मा थाना मैलानी जनपद खीरी
4.हे0का0 जुल्फिकार अली थाना मैलानी जनपद खीरी
5.का0 गौरव उज्जवल थाना मैलानी जनपद खीरी
6.का0 रजनीकान्त थाना मैलानी जनपद खीरी
7.का0 पंकज तिवारी थाना मैलानी जनपद खीरी

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, शांति व्यवस्था भंग करने के आरोपित 10 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 05.05.2025 को क्षेत्राधिकारी मितौली महोदय के कुशल मार्गदर्शन में व प्रभारी निरीक्षक थाना मैगलगंज के नेतृत्व में थाना मैगलगंज पुलिस टीम द्वारा अलग अलग ग्रामों से शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 10 नफर अभियुक्तगण 01. रुक्मलाल पुत्र दिग्विजय उम्र 50 वर्ष, 02. विमलस कुमार पुत्र रामसेवक उम्र 22 वर्ष निवासी गण रामनगर थाना मैगलंगज खीरी, 03.शिवकुमार पुत्र श्यामलाल उम्र 25 वर्ष, 04. सर्वेश कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उम्र 30 वर्ष, 05. राजेन्द्र पुत्र दिग्विजय उम्र 54 वर्ष, 06. श्याम लाल पुत्र दिग्विजय उम्र 58 वर्ष निवासी गण रामनगर थाना मैगलंगज खीरी, 07. रफी पुत्र नबी मोहम्मद उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम लाइनपार नई बस्ती खखरा / कस्बा मैगलगंज थाना मैगलंगज खीरी, 08. सालिक पुत्र हेमराज उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया शहबाज थाना मैगलंगज खीरी, 09. राजेश पुत्र चन्द्रपाल उम्र 42 वर्ष, 10. रोहित पुत्र राजेश कुमार उम्र 25 वर्ष निवासी गण ग्राम मुर्गी मोहल्ला कस्बा व थाना मैगलगंज खीरी को अन्तर्गत धारा 170/135/126 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्तों का विवरण

1.रुक्मलाल पुत्र दिग्विजय उम्र 50 वर्ष,
2.विमलस कुमार पुत्र रामसेवक उम्र 22 वर्ष निवासी गण रामनगर थाना मैगलंगज खीरी,
3.शिवकुमार पुत्र श्यामलाल उम्र 25 वर्ष,
4.सर्वेश कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उम्र 30 वर्ष,
5.राजेन्द्र पुत्र दिग्विजय उम्र 54 वर्ष,
6.श्याम लाल पुत्र दिग्विजय उम्र 58 वर्ष निवासीगण रामनगर थाना मैगलंगज खीरी,
7.रफी पुत्र नबी मोहम्मद उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम लाइनपार नई बस्ती खखरा / कस्बा मैगलगंज थाना मैगलंगज खीरी,
8.सालिक पुत्र हेमराज उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया शहबाज थाना मैगलंगज खीरी,
9.राजेश पुत्र चन्द्रपाल उम्र 42 वर्ष,
10.रोहित पुत्र राजेश कुमार उम्र 25 वर्ष निवासी गण ग्राम मुर्गी मोहल्ला कस्बा व थाना मैगलगंज खीरी।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 विनोद सिंह,
2.उ0नि0 अनूप कुमार मिश्र,
3.हे0का0असलम,
4.का0 अजय कुमार,
5.का0 इकराम खां,
6.का0 लोकेन्द्र कुमार,
समस्त थाना मैगलगंज

<u>थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 07 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 4,960 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा जुआं खेलते हुए 07 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 4,960 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 295/25 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण</u>

1-थाना खीरी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 43/25 धारा 419/420/67/68 बीएनएस में वांछित 02 नफर अभियुक्तों बाबूराम मौर्या पुत्र परमेश्वर नि0 हाथीपुर उत्तरी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी व कमलेश सिंह नि0 ग्राम साड़ीनामा थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2-थाना गोला पुलिस द्वारा, अ0सं0 713/11 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त प्रहलाद लोहार पुत्र उमाशंकर नि0 तिपरिया जंगल थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 70 लीटर अवैध शराब बरामद कर 08 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>40 लीटर</u>** अवैध कच्ची शराब व 01 अदद शराब भट्टी बरामद कर **<u>03 नफर</u>** अभियुक्त को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>03 अभियोग</u>** पंजीकृत किया गया।